14.12.19

धार जिला धार (म.प्र.)

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

परिवादी द्वारा श्री सुशील जैन अधिवक्ता उप.।

उभयपक्ष ने आज प्रकरण मे लोक अदालत के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किए।

उभयपक्ष ने राजीनामा आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आज विभाग मे आरोपी द्वारा विद्युत चोरी का संपूर्ण राशि एवं राजीनामा शुल्क जमा कर दिया गया है, अब परिवादी का आरोपी पर कोई राशि लेना शेष नही है। प्रकरण मे राजीनामा हो चुका है, इसलिए प्रकरण चलाना नही चाहते है। प्रकरण समाप्त किया जावें ।

उभयपक्ष को सुना गया। राजीनामा सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वेच्छापूर्वक किया जाना दर्शित होता है, अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आरोपी को धारा 135 / 138 विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार धार भेजा जावे।

14.12.19

(श्रीमती वन्दनाराज पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003)
धार, जिला धार